संख्या- 214 /2026 / 2611 /चार-2026-1910291

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 21 अक्टूबर, 2026**

विषय- जनपद मैनपुरी में निर्माणाधीन सांस्कृतिक केन्द्र में **डिजिटल म्यूजियम और मेटावर्स सुविधाओं** के विकास कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्राविधान कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 399/उ0प्र0सं0नि0-5(136)/2026-27 दिनांक 08 अक्टूबर, 2026 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं0-2015 (1)/ चार-2026-2071557 दिनांक 31.08.2026 द्वारा जनपद मैनपुरी में निर्माणाधीन सांस्कृतिक केन्द्र में डिजिटल म्यूजियम और मेटावर्स सुविधाओं के विकास कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन रू0 1465.17 लाख का परीक्षण करते हुए, प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 1422.68 लाख लागत मूल्यांकित की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना- जनपद मैनपुरी में निर्माणाधीन सांस्कृतिक केन्द्र में डिजिटल म्यूजियम और मेटावर्स सुविधाओं के विकास कार्यों हेतु **रू0 1422.68 लाख (रूपये चौदह करोड़ बाईस लाख अड़सठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि **रू0 711.34 लाख (रूपये सात करोड़ ग्यारह लाख चौंतीस हजार मात्र)** अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

3. शर्तें/ प्रतिबन्धः-

(1) वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/ बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(3) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021/ फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रशासकीय विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट / मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक / मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(5) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में बॉट आउट आइटम्स के मूल्यांकन हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०- 9/2022/ए-1-357/ दस-2022-10 (55)/2000 दिनांक 14.09.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

(7) थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रकिया के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं० 2/2026/ ए-2-आई / 1172817/ 2025 / दस- 2025, दिनांक 02 जनवरी, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही TPQA के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 01-07-2026 का नियोजन अनुभाग-1 के पत्रांक सं0-83EPC/35-1- 2026, दिनांक 15-07-2026 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में डिजिटल म्यूजियम कम्पोनेन्ट, आडियो सैल्यूशन, म्यूजियम इंटीरियर वर्क, फर्नीचर आदि का प्रावधान किया गया है। उक्त कार्य विशिष्टि प्रकृति के होते हैं! अतः प्रभाग का मत है कि निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये। इस समिति द्वारा विभिन्न कार्यमदों की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त जो लागत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। तथा इसी समिति की देख-रेख में ही निर्माण कार्य भी कराये जायें।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) संग्रहालय निदेशालय द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। राजस्व पक्ष से सम्बन्धित व्यय का भुगतान पूंजीगत पक्ष से न करके राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक के संगत मद में उपलब्ध प्राविधान से सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(17) प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(20) परियोजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि परियोजना निर्माण के उपरान्त गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार निर्गत की जायेगी।

(21) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(22) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(23) संग्रहालय निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था-सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 7,11,34,000.00 (रूपये सात करोड़ ग्यारह लाख चौतीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202041061400 जनपद मैनपुरी में संग्रहालय का निर्माण **मानक मद** 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

5. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या RE-budget-1-142-E-7-72-X-2026-27-दिनांक: 16-10-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 214 /2026 / 2611 (1) /चार-2026-1910291 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, मैनपुरी।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
8- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
9- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-43, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, फर्रूखाबाद (मुख्या0 कन्नौज)
10- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20262027-2611-Mainpuri Museum Reapp New

विषय:- जनपद मैनपुरी में निर्माणाधीन सांस्कृतिक केन्द्र में डिजिटल म्यूजियम और मेटावर्स सुविधाओं के विकास कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण ,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048000900 (भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र	8,16,65,000 रुपये आठ करोड़ सोलह लाख पैंसठ हजार मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	2026-2027
092	4202041061600 (जनपद सुल्तानपुर में संग्रहालय के नए भवन का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	2,11,34,000 रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख चौंतीस हजार मात्र	2,11,34,000 रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख चौंतीस हजार मात्र	2,88,66,000 रुपये दो करोड़ अट्ठासी लाख छियासठ हजार मात्र	2026-2027
कुल					₹ 7,11,34,000	₹ 7,11,34,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202041061400 (जनपद मैनपुरी में संग्रहालय का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	7,11,34,000 रुपये सात करोड़ ग्यारह लाख चौंतीस हजार मात्र	7,11,34,000 रुपये सात करोड़ ग्यारह लाख चौंतीस हजार मात्र	27,11,34,000 रुपये सत्ताईस करोड़ ग्यारह लाख चौंतीस हजार मात्र	2026-2027
कुल				₹ 7,11,34,000	₹ 7,11,34,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वास्तविक व्यय के कारण।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

जनपद मैनपुरी में निर्माणाधीन सांस्कृतिक केन्द्र में डिजिटल म्यूजियम और मेटावर्स सुविधाओं के विकास कार्य हेतु

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेष बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-142-E-7-72-X-2026-27-दिनांक: 16-10-2026

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

राज कुमार
संयुक्त सचिव।

मंजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या- 214 /2026 / 2611 (1) /चार-2026-1910291 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 214 /2026 / 2611 /चार-2026-1910291 दिनांक 21 अक्टूबर, 2026 का संलग्नक

प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सापेक्ष प्रभाग द्वारा आंकलित लागत का विवरण निम्नवत् हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

Sl. No	Name of Item	Unit	PROPOSED COST Quantity	PROPOSED COST Rate	PROPOSED COST Amount	APPRAISED COST Quantity	APPRAISED COST Rate	APPRAISED COST Amount	Deduction
1	Work for Digital Museum Components				905.92			878.74	-27.18
2	Audio Solutions				53.01			50.73	-2.28
3	Museum Interior Works				61.96			47.18	-14.78
4	Electrical Works and Soft Components				162.84			131.76	-31.08
	Total				**1183.73**			**1108.41**	**-75.31**
5	CONTINGENCY @1%	Lacs	1183.73	1%	11.84	As On S.No. 9		0.00	-11.84
	Total				**1195.57**			**1108.41**	**-87.15**
6	LESS 5% DUE TO WORK DONE BY DEPARTMENT	Lacs	1195.57	-5%	-59.78	1108.41	-5%	-55.42	4.36
	Total				**1135.79**			**1052.99**	**-82.79**
7	CENTAGE CHARGES	Lacs	1135.79	10%	113.58	1052.99	10%	105.30	-8.28
8	LABOUR CESS	Lacs	1135.79	1%	11.36	1052.99	1%	10.53	-0.83
9	CONTINGENCY CHARGES UPTO RS 25.00 Cr.	Lacs	As On S.No. 5		0.00	1052.99	1%	10.53	10.53
10	THIRD PARTY QUALITY AUDIT (TPQA)	Lacs			0.00	1052.99	0.5%	5.26	5.26
11	GST With TPQA	Lacs	1135.79	18%	204.44	1058.25	18%	190.49	-13.95
12	Customised Furniture	Lacs	In S.No. 03		0.00			13.32	13.32
13	CCTV	Lacs	In S.No. 04		0.00			14.00	14.00
14	Website development for the museum space.	Lacs	In S.No. 04		0.00			13.00	13.00
15	GST On S.No. 12 To 14	Lacs			0.00			7.26	7.26
	Total Project Cost				**1465.17**			**1422.68**	**-42.48**

https://shasanadesh.up.gov.in